

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

icsstobccell@gmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) 07582-297105
SAGAR-470003 (M.P.) INDIA

डॉ. उत्तम आनन्द (प्रभारी)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ



क्रमांक:एससीएसटी सेल/05/25-26/278

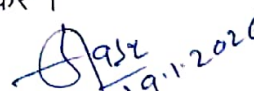
सागर, दिनांक 19.01.2026

// सूचना //

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला-सागर के पत्र क्रमांक: पीएमएस/आ0वि0/2025-26/1840 दिनांक 16.01.2026 द्वारा SC+ST आवास सहायता के आवेदनों में दस्तावेजों के संबंध में Zoom Meeting बैठक दिनांक 17.01.2026 में दिये गये निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि -

1. अनुसूचित जाति वर्ग (SC) के विद्यार्थियों को मकान मालिक के साथ किरायानामा रुपये 100/- के ई-स्टॉम्प पेपर पर ही मान्य रहेगा जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं मकान मालिक का कोई भी एक पहचान पत्र भी अपलोड करें। किराये की गणना संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी। नोटरी दिनांक से ही आवास सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग (ST) के विद्यार्थियों को किरायानामा मकान मालिक एवं किरायेदार (विद्यार्थी) के बीच द्विपक्षीय स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के रूप में लिया जाएगा जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाये साथ ही मकान मालिक का पहचान पत्र आधार आदि की प्रति भी अपलोड करें।

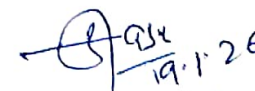
आवास सहायता आवेदन की हार्डकापी के साथ समग्र आई डी/आधार कार्ड की प्रति/पिता का शपथ पत्र/छात्रावासी छात्र न होने का प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में शीघ्र जमा करें। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र छात्र-छात्राये संलग्न आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 के नियमानुसार ही ऑनलाईन आवेदन करें।


(डॉ0उत्तम आनंद)

प्रोफेसर इंचार्ज एवं नोडल अधिकारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष- निवेदन है कि आपके संकाय/विभाग में अध्ययनरत संबंधित विद्यार्थियों को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. समस्त संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा- संबंधित विद्यार्थियों के सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर (म0प्र0)-सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलसचिवजी के निज सहायक - सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट सेल- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।


(डॉ0उत्तम आनंद)

प्रोफेसर इंचार्ज एवं नोडल अधिकारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मन्त्रालय

क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2 / 1860

भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक-एफ-12-06/2013/25-2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-23-04/2013/25-5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:-

- (1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
- (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
- (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन :-

- (1) वर्ष 2013-14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016-17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

दिनांक
23/12/16

23/12/16

- (2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।
- (3) केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम/कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम/कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :-

- (1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।
- (2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।
- (3) समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रुपये 2000/-, अन्य जिला मुख्यालयों में रुपये 1250/- तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रुपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।
- (5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
- (6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।
- (7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।
- (8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
- (9) एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया :-

- (1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 20 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।
- (2) ऑन लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की प्रमाणपत्र, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किराया-नामा अपलोड करेंगे।
- (3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भागक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :-

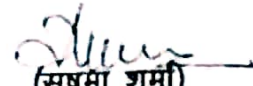
- (1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्य का होगा।
- (2) विद्यार्थी द्वारा ऑन-लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखों को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :-

- (1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उसके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत राशि सीटें भरी हुई हों। इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए।
- (2) विद्यार्थियों को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

- (3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

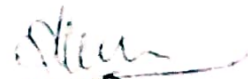
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सुषमा शर्मा)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ० क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/186/
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
 2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 4. ✓ आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
 5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
 6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
 7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
 10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
 11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
 12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
 13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
 14. गार्ड फाईल।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल

कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश

E:MAIL ID- comscd@gmail.com & comscd@nic.in

क्रमांक/शिक्षा-1/2017-18 12666

भोपाल दिनांक 21-2-18

प्रति,

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
जिला-भोपाल

विषय:-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के संबंध में मार्गदर्शन हेतु।

संदर्भ:-सहायक आयुक्त भोपाल का पत्र क्रमांक 193 दिनांक 12.1.2018

---00---

विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र में लेख है कि शासन नियम दिनांक 23.12.2016 द्वारा कडिका क्र.-7 के (बिन्दु क्र.-2) में किराये की गणना महाविद्यालय संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी। नोटरी दिनांक से ही आवास सहायता राशि का गुगलान किया जाये।

(सुधीर कुमार जैन)

संयुक्त संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

नकाह
दाताद्वारा
23/2/18
Aerw

कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

Email- hostel.cld@mp.gov.in

क्रमांक/ आवा. सहा./455/2020/ 9926
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/6/2020

समस्त सहायक आयुक्त,
समस्त जिला मंयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

विषय:- आवास सहायता योजना संचालन हेतु निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवास सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृति से पूर्व छात्र से किरायानामा का अनुबंध पत्र रोटरी स्टॉम्प के साथ लिये जाने से आवास सहायता के आवेदन स्वीकृति में काफी विलंब हो रहा है एवं छात्रों को भी एक अनावश्यक दस्तावेज तैयार करना होता है।

मध्यप्रदेश शासन जा.क. वि. मंत्रालय द्वारा जारी आवास सहायता योजना नियम क्रमांक/एफ/12-25/2017/25-2/385 दिनांक 26.06.2019 में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि छात्र से किरायानामा मकान मालिक एवं किरायेदार (विद्यार्थी) के बीच द्विपक्षीय स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र के रूप में लिया जाएगा, जिसे नोटराईज करने की या स्टाम्प पेपर पर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपरोक्त निर्देश का पालन किया जाए।

संलग्न:- घोषणा पत्र का प्रारूप।

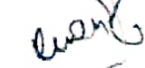

आयुक्त, 9/6/20

आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/ आवा. सहा./455/2020/ 9927
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9/6/2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शा. आ.जा.क.वि. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
4. आई टी सेल मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवास मॉड्यूल में उपरोक्तानुसार प्रावधान किये जाने की कार्यवाही की जाए।


आयुक्त,
आदिवासी विकास

किराया द्वीपक्षीय घोषणा पत्र

(किरायानामा)

(केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए)

आइडी :

संस्थान का नाम, जिला :

किरायेदार (छात्र/छात्रा) नाम:

पिता/पति का नाम:

स्थायी पता:

जिला:

पिन कोड:

किराया पता का विवरण:

मकान मालिक का नाम:

पिता/पति का नाम:

किराया का पता:

वार्ड नं :

स्थानीय निकाय : ☐ ग्राम पंचायत ☐ नगर पालिका
(दुर्ग ☒) ☐ नगर परिषद ☐ नगर निगम

स्थानीय निकाय का नाम:

ब्लॉक का नाम:

पिन कोड:

जिला:

मकान मालिक फोन नंबर:

मकान मालिक पहचान पत्र चुनें: ☒

☐ वोटर आई.डी. ☐ राशन कार्ड ☐ बैंक पास बुक
☐ विजली बिल ☐ पैन कार्ड ☐ ड्राइवर लाइसेंस

पहचान पत्र संख्या:

(प्रति संलग्न करें)

किराया विवरण:

किराया प्रारंभ दिनांक :

...../...../.....

किराया (प्रति माह):

शब्दों में किराया (प्रति माह):

.....

में (दोनों पक्ष) घोषणा करता है कि:

- घोषित किरायेदार वर्तमान में उपरोक्त किराये के पते पर रहता है, जो ऊपर घोषित मकान मालिक के स्वामित्व में है।
- मैंने (दोनों पक्ष) उपर्युक्त पता, किराया, दिनांक तथा अन्य विवरणों को सत्यापित कर लिया है और उपर्युक्त विवरण मान्य और सही है।
- उपर्युक्त जानकारी की सभी देयता और जिम्मेदारी, मेरे (दोनों पक्ष) द्वारा बहन की जाएगी।

किरायेदार:-

हस्ताक्षर

नाम.....

मकान मालिक:-

हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक :

स्थान :

महत्वपूर्ण निर्देश:

- यह किराये की घोषणा केवल वर्तमान किराये के पते के लिए मान्य है।
- कृपया मकान मालिक द्वारा सत्यापित मकान मालिक के घोषित पहचान पत्र का प्रति संलग्न करें।
- यह किराये का प्रमाण पत्र केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए लागू और मान्य है।
- केवल इस दस्तावेज की उपलब्धता, योजना की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाती है। यह योजना के मानदंडों में से एक है।
- इस दस्तावेज की अधिकतम वैधता किराया प्रारंभ की तारीख से 11 महीने तक है।